2022/175

फर्द अहकाम

जगदीश बनाम ईश्वरलाल

ायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

ाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : दावा 102 / 2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
08.07.2022	यह दावा वादी की ओर से अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ। प्रतिवादीगणों पर सम्मनों की तामिल आदेश 5 नियम 9 में उपबन्ध अनुसार हो। वकील वादी को आदेशित किया जाता है कि सात दिवस के भीतर वाद पत्र की प्रतियों के साथ प्रतिवादियों पर सम्मनों की तामिल हेतु आवश्यक प्रतियां एवं अपेक्षित फीस प्रस्तुत करें। सात दिवस में इस आशय का शपथ पत्र पेश हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये नोटिस से करवायी जाकर पत्रावली दिनांक 01.08.2022 को पेश हो। सहायक कलेक्टर बस्सी जिला जयपुर	नोटिस 4664-74 16/5/22
01/8/22	पत्रावली पेश हुई। P.O. साहब दौरे/ अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण कार्यवाही नहीं। पत्रावली दिनांक 07/10/22 को पेश हो।	
7/10/22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित नहीं है नहीं वादी स्वयं उपस्थित है। न्यायालय समय तक एक एक बार आवाज लगवायी गयी परन्तु न तो वादी स्वयं उपस्थित है नहीं वादी की ओर से कोई वकील अदि उपस्थित है अतः वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नस्ट से बाद होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	